न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1811/2025

(परिवाद वाद संख्या 1293सी/2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राम कुमार मंडल बनाम राज्य सरकार

आदेश

09.03.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **राम कुमार मंडल** पे0 मोहन मंडल, उम्र 30 वर्ष, साकिन चमघरा, थाना रामगढ़ चौक, जिला लखीसराय द्वारा परिवाद वाद संख्या 1293सी/2023 में धारा 383, 498ए, 498, 494, भा0द0वि0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री हृदयानन्द प्रसाद तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि फिदविया का विवाह दिनांक 04.04.2018 को राजकुमार मंडल पे0 मोहन मंडल साकिन चमघरा, थाना रामगढ़ चौक, जिला लखीसराय के साथ सम्पन्न हुआ। फिदवीय शादी के बाद अपने पिता के साथ ससुराल गई और पति पत्नी की तरह दामपत्य जीवन बिताने लगी। दोनों के दामपत्य जीवन से एक पुत्र उम्र 04 वर्ष एवं एक पुत्री रीतिका कुमारी उम्र 2–1/2 वर्ष पैदा हुई। लड़की के पैदा होने के बाद उपरोक्त सभी मुदालहुम फिदवीया से एक मोटर साईकिल एवं 200000/– रूपया नगद मांग करने लगा। फिदवीया बोली की मेरे पिता माता शादी के समय उपहार स्वरूप पांच लाख एवं दो भर सोने का चैन किमत 100000/– रूपया तथा एक भर सोने का मांगटीका कीमत 50000/–रू0, आठ भर सोने का कानवाली कीमत 25000/–रूपया एवं 20 ग्राम का कंगन कीमत 100000/–रू0 10 भर चांदी का पायल कीमत 5000/–रू0, पलंग 25000/–रूपया, कुर्सी–टेबुल 5000/–रू0, फ्रिज 15000/–रू0, गोदरेज कीमत 15000/–रू0 तथा कपड़ा कीमत 20000/–रू0 उपहार स्वरूप दिया था अब कहां से आपको मैं दहेज दूंगा। इस पर सभी मुदालहुम फिदवीया का खाना पीना नहीं देने लगी एवं मुदालहुम नं0 08 मंजू देवी गाली गलौज एवं शारीरिक प्रताड़ना देने लगी एवं मुदालाहूम नं0 01 से 04 तक धमकी दिया कि हम अपने बेटा राम कुमार का दूसरी शादी करेंगे। फिदवीया इसका विरोध की लेकिन मुदालाहूम लोग नहीं माने और मुदालह नं0 01 राम कुमार मंडल का दूसरी शादी सोनिया देवी से कर दी और फिदवीया को मारपीट कर पिता द्वारा दिया गया उपहार स्वरूप सभी जेवरात रख कर घर से जबरजस्ती गाड़ी पर बैठा कर दिनांक 12.09.2023 समय करीब 4 बजे संध्या खड़सारी चौक, थाना व जिला जमुई में घर छोड़कर सभी मुदालाहुम चले गये। फिदवीया रोती बिलखती किसी तरह माता पिता के घर गई और घटना के बारे में बताई तब फिदवीया के माता पिता दिनांक 13.09.23 को फिदवीया के ससुराल गये लेकिन वे लोग नही माने तब फिदवी लाचार होकर न्यायालय में नालिस मन्द है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक का इस जमानत आवेदन को छोड़कर माननीय सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई अन्य जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को 35(3) का नोटिस नहीं दिया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अपनी पत्नी को ससम्मान व आदरपूर्वक अपने साथ रखने रखने को तैयार है। आवेदक द्वारा आवेदिका के साथ कोई भी आपराधिक आपराध नहीं किया गया है लेकिन सूचिका आपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। आवेदक के विरूद्ध लगायी गयी सभी धाराएं झूठे, आधारहीन तथा

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1811/2025
(परिवाद वाद संख्या 1293सी/2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राम कुमार मंडल बनाम राज्य सरकार

09.03.2026
लगातार

मनगढ़ंत हैं। आवेदक न्यायालय के सभी शर्तों को मानने को तैयार है तथा आवेदक माननीय न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक परिवाद वाद संख्या 1293सी/2023 में नामजद अभियुक्त हैं तथा उक्त परिवाद वाद में दिनांक 28.04.25 के आदेश से धारा 323, 498ए भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा विचारण न्यायालय में अभिलेख आवेदक की उप. स्थिति हेतु लंबित है। जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा एक अन्डर टेकिंग दिनांक 09.03.26 को न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसमें आवेदक ने कथन किया है कि अग्रिम जमानत आवेदन पत्र 1811/25 में मैं आवेदक हूं। यह मुकदमा मेरी पत्नी काजल कुमारी मेरे उपर किया है। यह कि मैं अपनी पत्नी काजल कुमारी को पूरे मान सम्मान के साथ रखूंगा। मैं अपनी पत्नी को अपने अवकात के अनुसार खाना–पिना दवा एवं हर जरूरतें समय समय पर मुहैया कराउंगा। मैं अपनी पत्नी को दुख तकलीफ नहीं दूंगा। मैं अपने दोनों बच्चों का देखभाल करूंगा। मैंने दूसरा विवाह नहीं किया है। यह कि मैं अपनी पत्नी काजल कुमारी को हुजूर के न्यायालय के आदेशानुसार ले जाने को तैयार हूं। इसी आशय का अंडरटेकिंग मैं न्यायालय में दे रहा हूं। जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान आवेदक की पत्नी काजल कुमारी भी आवेदक के साथ जाने के लिए तैयार है तथा दोनों ने जमानत अभिलेख के आदेश फलक पर अपना हस्ताक्षर किया है और अपना अपना मोबाईल नंबर अंकित किया है। आवेदक राम कुमार मंडल का मोबाईल नंबर 9905092892 अंकित है तथा आवेदक की पत्नी काजल कुमारी का मोबाईल नंबर 9523382755 अंकित है। अब इस वाद में पति पत्नी दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः इस आदेश से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने पर तथा 10,000/–रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा धारा 482(2) के शर्तों का पालन करने पर एवं निम्न शर्तों का पालन करने पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें–

1. आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने के दिन ही आवेदिका को जो कि आवेदक की पत्नी है उसे अपने साथ उसके बच्चों सहित अपने घर ले जायेगा।

2. आवेदक, आवेदिका तथा उसके बच्चों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित नहीं

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1811/2025</u>

(परिवाद वाद संख्या 1293सी/2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राम कुमार मंडल बनाम राज्य सरकार

09.03.2026 करेगा और न ही प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा।

3. आवेदक आवेदिका तथा उसके बच्चो के सभी विधिक खर्चों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा तथा आवेदिका को पूर्ण नारी गरिमा एवं सम्मान के साथ रखेगा।

4. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर आवेदक का बंधपत्र विचारण न्यायालय खंडित कर सकता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई

Web Copy